

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (38) परि/नियम/मु0/पार्ट/2012/716


जयपुर, दिनांक 30/4/12

कार्यालय आदेश संख्या ...7/2012

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एकलपीठ दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र सं0 233/2012 धीमाराम बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 29.03.2012 पारित कर निर्देश प्रदान किये गये हैं कि राज्य में चौपहिया एवं तिपहिया वाहनों के पंजीयन करते समय वाहन स्वामी यह शपथ पत्र देगा कि उसके पास उक्त वाहन की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान है।

अतः समस्त जिला परिवहन अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.03.12 की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय निर्देशों की पालना में समस्त चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन का पंजीयन करते समय पर्याप्त पार्किंग का स्थान उपलब्ध होने के संबंध में वाहनस्वामी से शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन का पंजीयन किया जावे।

इस आदेश की अक्षरशः पालना की जावे। इस आदेश की अनुपालना में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(दीपक उप्प्रेती) 30/4/2012
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 (38) परि/नियम/मु0/पार्ट/2012/716

जयपुर, दिनांक 30/4/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त अधिकारी परिवहन मुख्यालय जयपुर। *System Analyst*
4. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट में अपडेट करने हेतु प्रेषित है।


अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)